सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 444 राँची ,बुधवार

19 भाद्र 1936 (श०)

10 सितम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

8 सितम्बर, 2014

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या- 2098 दिनांक 11 अप्रैल, 2008, संकल्प संख्या-11210, दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 एवं संकल्प सं0-3081, दिनांक 27 मार्च, 2014 तथा पत्रांक-3079, दिनांक 27 मार्च, 2014

2. उपायुक्त कार्यालय, गिरिडीह का पत्रांक- 1056/गो. दिनांक 17 मई, 2007

3. आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग का पत्रांक- 15 दिनांक 24 अगस्त, 2012

संख्या-9022--श्री सत्य प्रकाश, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-852/03, गृह जिला- राँची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोपों हेतु प्रपत्र- 'क' में आरोप उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक- 1056/गो0, दिनांक 17 मई, 2007 द्वारा प्राप्त है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. स0-बगोदर प्रखण्ड अन्तर्गत पुनरीडीह ग्राम में दीन दायाल आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने तथा सुरेश भुईंया के नाम फर्जी निकासी किये जाने संबंधी श्री विनोद सिंह, मा0 सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त पत्र, दिनांक 12 अप्रैल, 2007 की जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह से करायी गयी। उनके द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के योजना पंजी में संबंधित सभी अभिलेख दर्ज है। वर्ष 2005-06 का कुल 264 योजना अभिलेख का उल्लेख है, किन्तु इस पंजी में श्री सुरेश भुईंया से संबंधित अभिलेख का उल्लेखन नहीं है। अर्थात् यह अभिलेख अनियमित ढंग से खोला गया है।

2. श्री सुरेश भुईंया से संबंधित जो अभिलेख की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, योजना संख्या काटकर अपठनीय बना दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्री सुरेश भुईंया के नाम कोई अभिलेख नियमानुसार खोला ही नहीं गया है तथा यह अभिलेख फर्जी है। साथ ही जाँच के क्रम में नाजिर द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा सका। दीनदयाल आवास योजना का कार्यान्वयन आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0-359, दिनांक 14 जुलाई, 2005 द्वारा निर्धारित प्रावधान की कंडिका सं0-7 के आलोक में किया जाता है। उक्त कंडिका में उल्लिखित है कि इस योजना की मार्ग दर्शिका के अनुरूप ही होगा एवं इसके लिए स्वतंत्र अभिलेख खोला जायेगा लेकिन आपके द्वारा नियमों की अवहेलना की गई, जिसके लिए आप दोषी है।

3. आपके द्वारा निर्गत चेक सं0-445992, दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 से कुल 12,500/- रूपये कैश के रूप में दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 को बैंक द्वारा भुगतान किया गया, जो एकाउण्ट पेयी नहीं था। चेक की राशि का भुगतान श्री सुरेश भुईंया के हस्ताक्षर से प्राप्त दिखलाया गया है। जबकि सुरेश भुईंया हिमाचल प्रदेश में काम करने गया है और उक्त अवधि में वे बगोदर में नहीं थे। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-9168, दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 एवं पत्रांक-9522, दिनांक 20 अक्टूबर, 2006 द्वारा निदेशित किया गया है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत भविष्य में सभी किस्तों की राशि लाभुकों के पास-बुक (खाते) में जमा किया जाय। किसी भी परिस्थिति में राशि का भुगतान नकद अथवा चेक के रूप में नहीं किया जाय।

लेकिन आपके द्वारा नियमों की अवहेलना की गई, जिसके लिए आप दोषी है।

4. चेक पंजी से पृष्ठ सं0-7 पर दिनांक 31 जनवरी, 2006 को श्री सुरेश भुईंया का नाम दर्ज है, जिसमें अभिलेख संख्या का उल्लेख नहीं है। बल्कि चेक सं0-445992 राशि 12,500/- दर्ज है। चेक के अधकटी पर सुरेश भुईंया के नाम से हस्ताक्षर बना हुआ है। चेक पंजी आपके द्वारा सत्यापित है। इस

तरह बिना अभिलेख संख्या के चेक निर्गत किया जाना और चेक पंजी सत्यापित करना अनुचित लाभ लेने में आपकी सहभागिता दर्शाती है।

5. प्रखण्ड कार्यालय में संधारित रोकड़ बही में सुरेश भुईंया भुगतान दर्ज है तथा आपके द्वारा सत्यापित है। किन्तु नाजिर के पास अभिश्रव उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत मामले में आपके द्वारा योजना के कार्यान्वयन में सरकारी नियमों का पालन नहीं कर अनुचित लाभ लेने के लिए फर्जी भुगतान कराया गया है, जिसके लिए नाजिर के साथ आप भी दोषी हैं।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0- 2098 दिनांक 11 अप्रैल, 2008 द्वारा श्री प्रकाश के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-15, दिनांक 24 अगस्त, 2012 द्वारा श्री प्रकाश के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-3 एवं 4 प्रमाणित प्रतिवेदित किये गए। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-11210, दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 द्वारा श्री सत्य प्रकाश पर निन्दन एवं तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है। इसके विरूद्ध श्री सत्य प्रकाश द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में याचिका W.P.(S) No. 478/2013 सत्य प्रकाश बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर की गई है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 9 दिसम्बर, 2013 को आदेश पारित किया गया है। न्यायादेश का Operative Part निम्नवत् हैः-

"In view of aforesaid discussion the impugned order dated 1st October, 2012 is quashed. The matter is remitted to the disciplinary authority for passing a fresh order, after affording opportunity to the petitioner for making his representation."

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प सं0-3081, दिनांक 27 मार्च, 2014 द्वारा श्री सत्य प्रकाश के विरूद्ध दण्ड अधिरोपण से संबंधित विभागीय संकल्प सं0-11210, दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 को विलोपित किया गया।

विभागीय पत्रांक-3079, दिनांक 27 मार्च, 2014 द्वारा श्री प्रकाश से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री प्रकाश के पत्र, दिनांक 26 मई, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है।

इस प्रकार, श्री प्रकाश के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के न्यायादेश के आलोक में श्री प्रकाश द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री सत्यप्रकाश के विरूद्ध आरोप सं0-3 एवं 4 प्रमाणित पाया गया। श्री प्रकाश के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नांकित दण्ड उनपर अधिरोपित किया जाता है:-

(1) निन्दन; तथा,

(2) तीन वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक;

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 444–50 ।